

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक: एफ.4(11)वित्त/राजस्व/2021


जयपुर, दिनांक : 24 SEP 2021

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 (ए) के अन्तर्गत, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा में संयुक्त निदेशक के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त श्री मंत्रमुग्ध कटारिया का चयन अतिरिक्त निदेशक की वर्ष 2021-22 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किये जाने के फलस्वरूप श्री मंत्रमुग्ध कटारिया को अतिरिक्त निदेशक के पद पर पे-मेट्रिक्स के लेवल 21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है। उक्त रिक्ति की तिथि 01.04.2021 है।


पदोन्नत अधिकारी की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग ।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 5 (94) डीपीसी/2021-22/253 दिनांक 06.09.2021 के क्रम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग राजस्थान जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग ।
9. संबंधित अधिकारी/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा) विभाग